

**कार्यालय आवासीय अभियन्ता**  
**राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड अलवर**

अलवर शहर की विभिन्न योजनाओं में व्यावसायिक भूखण्डों की मुहरबन्द प्रस्ताव द्वारा भव्य नीलामी बोली।

नीलामी बोली हेतु मुहरबन्द प्रस्ताव प्राप्त करने की अवधि दिनांक 30.01.2017 से 08.02.2017 अपराह्न 02.00 बजे तक

नीलामी बोली में प्राप्त मुहरबन्द प्रस्तावों को खोलने का तिथि एवं समय दिनांक 08.02.2017 अपराह्न 02.30 बजे

अ. एन.ई.बी विस्तार योजना					
व्यावसायिक भूखण्ड					
क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	आरक्षित/ सामान्य	क्षेत्रफल (व. मी.)	न्यूनतम बोली मूल्य (प्रति वर्ग मीटर)	अमानत राशि 5%
1	1-S-01 (01) Corner	सामान्य	14.65	50230.00	36800.00
2	1-S-14,15 (02) Corner	सामान्य	14.65	50230.00	36800.00
3	1-S-06 (01) Ordinary	अनु.जाति	13.95	45655.00	31850.00
4	1-S-02,03,04,05, & 07 (05) Ordinary	सामान्य	13.95	45655.00	31850.00
5	1-S-13 (01) Ordinary	सामान्य	13.50	45655.00	30850.00
<b>ब एस.डब्ल्यू.बी योजना फैंज प्रथम अलवर</b>					
1	11,12,13 (03) Ordinary	सामान्य	13.50	87285.00	58950.00
<b>स एस.डब्ल्यू.बी योजना फैंज चतुर्थ अलवर</b>					
1	46,47,48,49 (04) Ordinary	सामान्य	13.50	87285.00	58950.00
2	35 (01) Corner	सामान्य	11.70	96014.00	56200.00
3	51 (01) Corner	सामान्य	13.50	96014.00	64850.00

नोट :- बिडदाताओं द्वारा नीलामी बोली में बिड प्रस्तुत करने हेतु, बिड आवेदन पत्र मय नीलामी बोली की शर्तों के विस्तृत विवरण, सम्बंधित कार्यालय से दिनांक 06.02.2016 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान अथवा मण्डल की वेबसाईट <http://www.rhbonline.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।

**सम्पर्क सूत्र**

आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-अलवर 0144-2333093, 09983993932	उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-अलवर 0144-2332612
---	--

—: नीलामी की शर्तें :—

1. प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिए बोलीदाता को राशि रू. 10 करोड़ से कम मूल्य की सम्पत्ति हेतु न्यूनतम बिड मूल्य का 5 प्रतिशत अथवा 30 लाख रुपये जो भी कम हो अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। राशि रूपये 10.00 करोड़ एवं अधिक मूल्य की सम्पत्ति हेतु न्यूनतम बोली मूल्य का 5 प्रतिशत अथवा 50.00 लाख जो भी कम हो अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी।
2. उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा कराई गई राशि समायोजित करते हुए 72 घण्टे में जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अन्तिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस में जमा करानी होगी।
3. शेष राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। यदि बोलीदाता 60 दिवस में राशि जमा नहीं करता है तो जमा राशि जब्त कर ली जावेगी और बोली स्वतः निरस्त हो जावेगी।
4. बिड प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि/समय के पश्चात प्राप्त हुए मुहरबन्द बिड प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. बिड प्रस्ताव में यदि बिडदाता द्वारा किसी शर्त का उल्लेख किया जाता है, तो ऐसे शर्त बिड प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. बिडदाता द्वारा परिसम्पत्ति की अंकों में द शब्दों में प्रस्तुत बिड दर/राशि में अन्तर होने की स्थिति में, भावों में उल्लेखित बिड दर/राशि ही मान्य होगी।
7. किसी एक अथवा समस्त बिड प्रस्तावों को बिना कारण बताए, निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है एवं इस सम्बन्ध में कोई वाद/विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
8. आवासीय भूखण्ड/व्यावसायिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन "जहाँ है जैसे है" के आधार पर निस्तारित किए जायेंगे।
9. आवासीय भूखण्ड/व्यावसायिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन का वास्तविक माप मौके पर उपलब्ध अनुरार ही अन्तिम होगा एवं तदनुसार ही गणना की जावेगी।
10. किसी परिसम्पत्ति हेतु प्राप्त मुहरबन्द बोली प्रस्तावों में से एक से अधिक बोलीदाताओं द्वारा समान दर प्रस्तुत करने की स्थिति में, समिति द्वारा मौके पर उपस्थित एक समान बोलीदाताओं से बन्द लिफाफे में उसी समय पुनः दर प्राप्त की जावेगी। जो कि पूर्व में प्रस्तुत दर से कम नहीं होगी। किसी बोलीदाता के मुहरबन्द बिड खोले जाने के समय पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में उसका दरों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का वाद मान्य नहीं होगा।

11. आवासीय भूखण्ड/निर्मित आवास के लिए लीज मनी की राशि आरक्षित दर की 2.5 प्रतिशत वार्षिक एवं व्यावसायिक भूखण्ड/निर्मित दुकान के लिए भूमि की आरक्षित दर की 5.0 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त रूप से देय होगी।
12. आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1042/373 दिनांक 23.09.2013 के अनुसार संस्थानिक आवंटन में लीज राशि आवंटित दर पर ली जावेगी।
13. बिड के सम्बंध में राजस्थान आवासन मण्डल के नियमों/शर्तों में समय-समय पर किए गए संशोधन/संवर्धन मान्य होंगे।
14. नीलामी बोली के नियमों/शर्तों एवं अन्य जानकारी मेरे द्वारा सम्बंधित कार्यालय/मण्डल की वेबसाइट [www.rhbonline.rajasthan.gov.in](http://www.rhbonline.rajasthan.gov.in) से प्राप्त कर ली गई हैं।
15. आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड एवं संस्थानिक हेतु प्रति वर्ग मीटर की दर से बिड प्रस्तुत करने के निर्देशों के विपरीत यदि बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण भूखण्ड की एकमुश्त कीमत बिड में भरी जाती है, तो ऐसी स्थिति में अन्य बोलीदाताओं की दरों से तुलना की दृष्टि से एकमुश्त कीमत को विज्ञप्ति में दर्शित भूखण्ड के क्षेत्रफल से विभाजित कर प्रति वर्ग मीटर दर निकाली जायेगी।
16. खुली बोली न्यूनतम 100.00 रुपये के गुणक में स्वीकार होगी परन्तु यह शर्त मोहरबन्द निविदा पर लागू नहीं होगी।
17. सेवाकर एवं अन्य कर नियमानुसार वसूलनीय होंगे।